

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश


राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची 1/II के ग्रुप डी-3 में संलग्न प्रधानाचार्य (उमाधि) एवं सनकक्ष पद (ग्रुप डी-II) पे-बैंच 15600-39100 पी वी-3 ग्रेड पे 6600 में वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुसंधानों के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविर-माध्य/संस्था/बी-III/ प्रधानाचार्य/डीपीसी /2016-17/16 दिनांक:- 29.04.2016 द्वारा चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	वर्षिकता क्रमांक	वर्ष	नाम कार्यात्मक	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थान (शासनिक/सामाजिक)	वांछित पदस्थान
1	1798	96-97	रमेश चन्द तोडवाल	05/02/63	बोस्ताई-जयपुर	बोस्ताई-बुधान्न, नागीर

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्यात्मक/क-2/95 दिनांक 20.08.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.08.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.08.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करने से पूर्व पदोन्नत कार्यात्मक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल ab.esttab.dse@rajasthan.gov.in पर तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित अधिकारी नियत दिनांक:-03.09.2016 तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। लोकसेवक अंगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्यात्मक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल सूचित करेंगे।

संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त के साथ ही इसका इन्ट्राज शालादर्पण में आवश्यक रूप से करेंगे। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।


 (जयदीप सिंह शर्मा)
 अध्यक्ष,
 निदेशक माध्यमिक शिक्षा
 राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविर-मा/संस्था/बी-2/45005/प्रधानाचार्य/डीपीसी-16-17/2016/ **दिनांक:- 23अगस्त.2016**
प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा,प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्यात्मक(6)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. सहायक सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल।
05. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) समस्त।
06. संबंधित संस्था प्रधान।
07. संबंधित पदोन्नत कार्यात्मक को पत्रबद्ध किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्दिष्टानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रवर्गी बी-3
08. मिजी एवं रक्षित पत्रावली


 सयुक्त निदेशक-कार्यात्मक